

आबकारी अनुभाग–2 के कार्य

1. अल्कोहल का आवंटन एवं वितरण, उसकी नीति तथा उससे सम्बन्धित मामले।
2. समस्त प्रकार के कार्य।
3. मद्य—निषेध।
4. मोटर स्प्रिट, टैक्सेसन अधिनियम।
5. आबकारी मैनुअल।
6. देशी मदिरा, गांजा, भांग, अफीम से सम्बन्धित समस्त मामले।
7. उद्योग बन्धु तथा उच्च स्तरीय समिति।
8. उपरोक्त विषयों से सम्बन्धित विवाद तथा रिट याचिकायें।
9. अखिल भारतीय नारकोटिक्स सम्मेलन।
10. अनुभाग से सम्बन्धित विषयों के आबकारी देयों की वसूली एवं तत्सम्बन्धी।
11. शीरा सम्बन्धी समस्त कार्य एवं अल्कोहल उत्पादन।
12. बीस सूत्रीय कार्यक्रम।
13. उक्त कार्यों से सम्बन्धित अधिनियमों, नियमावलियों एवं रिट याचिकाओं आदि का कार्य।
14. आडिट इन्सपेक्शन रिपोर्ट एवं लोक लेखा समिति के आडिट पैसेज।
15. शीरा तथा ताड़ी से सम्बन्धित मामले।
16. शाखा अधिष्ठान से सम्बन्धित कार्य।